अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

धारा 2 का संशोधन।

85. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (41) में, "धारा 14 की उपधारा (1)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 14 की उपधारा (1) या उपधारा (3)" शब्द, अंक और कोष्ठक ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, रखे जाएंगे । 1962 का 52

धारा 14 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

86. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

निर्धारण के प्रयोजनों के लिए माल का मूल्यांकन।

'14. (1) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रयोजनों के लिए, आयातित माल और निर्यात किए गए माल का मूल्य, इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार यथा अवधारित ऐसे माल का संव्यवहार मूल्य होगा: 1975 का 51

परंतु आयातित माल की दशा में, ऐसे संव्यवहार मूल्य के अंतर्गत, माल के लिए जब भारत में निर्यात के लिए विक्रय किया गया हो, वास्तव में संदत्त या संदेय कीमत के अतिरिक्त ऐसी कोई रकम होगी, जो क्रेता लागतों और सेवाओं के लिए जिसके अंतर्गत कमीशन और दलाली; सहायता, इंजीनियरी, डिजाइन कार्य, स्वामिस्व और अनुज्ञप्ति फीस, आयात के स्थान तक परिवहन के खर्चे, बीमा और संभलाई प्रभार भी हैं, संदाय करने के लिए दायी है:

परंतु यह और कि ऐसी कीमत उस तारीख को, जिसको, धारा 46 के अधीन प्रवेश पत्र प्रस्तुत किया जाता है या, यथास्थिति, धारा 50 के अधीन कोई पोतपत्र या निर्यात का पत्र प्रस्तुत किया जाता है, यथाप्रवृत्त विनिमय की दर के प्रतिनिर्देश से परिकलित की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, आयातित माल या निर्यातित माल, उस या उसके जैसे माल की मूल्य की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, के किसी वर्ग के लिए टैरिफ मूल्य नियत कर सकेगी और जहां ऐसे कोई टैरिफ मूल्य नियत किए जाते हैं वहां शुल्क ऐसे टैरिफ मूल्य के प्रतिनिर्देश से प्रभार्य होगा ।

(3) जहां आयातित माल या निर्यातित माल का कोई विक्रय नहीं है या जहां माल का संव्यवहार मूल्य अवधारण योग्य नहीं है वहां ऐसे माल का मूल्य इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विनिमय दर" से वह दर अभिप्रेत है जो—

(i) बोर्ड द्वारा अवधारित की गई हो; या

(ii) उस रीति से अभिनिश्चित की गई हो, जो बोर्ड,

भारतीय करेंसी के विदेशी करेंसी या विदेशी करेंसी के भारतीय करेंसी में संपरिवर्तन के लिए निदेश करे;

1999 का 42

(ख) "विदेशी करेंसी" और "भारतीय करेंसी" के वही अर्थ हैं जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ड) और (थ) में हैं ।'।

धारा 27 का संशोधन।

87. सीमाशुल्क अधिनियम, की धारा 27 की उपधारा (1) के खंड (ख) में तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि जहां अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश के परिणामस्वरूप शुल्क प्रतिदेय हो जाता है वहां, यथास्थिति, एक वर्ष या छह मास की परिसीमा की संगणना ऐसे निर्णय की डिक्री, निदेश या आदेश की तारीख से की जाएगी ।"।

धारा 28ङ का संशोधन।

88. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ङ के खंड (ग) के अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "भारत में संयुक्त उद्यम" से ऐसी संविदात्मक व्यवस्था अभिप्रेत है, जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्ति कोई ऐसा आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं जो संयुक्त नियंत्रण के अधीन है और जिसके एक या अधिक साझेदार या भागीदार अथवा साधारण शेयरधारक ऐसे अनिवासी हैं जिनका ऐसी व्यवस्था में सारवान् हित है;' ।

धारा 75क का संशोधन।

89. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 75क की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) जहां इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी दावेदार को किसी वापसी का संदाय भूल से किया गया है या वह अन्यथा वसूलनीय हो जाता है, वहां दावेदार, मांग की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर वापसी की उक्त रकम के अतिरिक्त धारा 28कख के अधीन नियत दर पर ब्याज का संदाय करेगा और ब्याज की रकम की संगणना दावेदार को ऐसी वापसी के संदाय की तारीख से आरंभ होने वाली और ऐसी वापसी की वसूली की तारीख तक की अवधि के लिए की जाएगी ।"।

अध्याय 10क का लोप।

90. सीमाशुल्क अधिनियम के अध्याय 10क का लोप किया जाएगा ।

धारा 127क का संशोधन।

91. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127क के खंड (ख) के स्थान पर, 1 जून, 2007 से, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ख) "मामला" से इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अधीन सीमाशुल्क के उद्ग्रहण, निर्धारण और संग्रहण के लिए ऐसी कोई कार्यवाही अभिप्रेत है, जो उस तारीख को, जिसको धारा 127ख की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष लंबित हो:

परंतु जब किसी न्यायालय, अपील अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किसी कार्यवाही को, यथास्थिति, किसी अपील या पुनरीक्षण में, यथास्थिति, नए न्यायनिर्णयन या विनिश्चय के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को वापस भेजा जाता है तब उस कार्यवाही को इस खंड के अर्थान्तर्गत लंबित कार्यवाही नहीं समझा जाएगा;' ।

धारा 127ख का संशोधन।

92. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ख की उपधारा (1) के स्थान पर, 1 जून, 2007 से, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(1) कोई आयातकर्ता, निर्यातकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् आवेदक कहा गया है) अपने से संबंधित किसी मामले की बाबत ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, मामले में समझौता कराने के लिए समझौता आयोग को न्यायनिर्णयन से पूर्व आवेदन कर सकेगा, जिसमें उसके शुल्क दायित्व का, जो उसने समुचित अधिकारी के समक्ष, प्रकट नहीं किया है, पूरा और सच्चा प्रकटीकरण ऐसी रीति, जिसमें ऐसा दायित्व उपगत हुआ है, उसके द्वारा संदेय रूप में स्वीकृत सीमाशुल्क की अतिरिक्त रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विनिर्दिष्ट की जाएं अंतर्विष्ट हों, जिसके अंतर्गत ऐसे शुल्क्य माल की विशिष्टियां भी हैं, जिसकी बाबत उसने माल के गलत वर्गीकरण, अवमूल्यांकन, छूट संबंधी अधिसूचना या केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय के लागू न होने के कारण कम उद्ग्रहण स्वीकार किया है, किन्तु इसके अंतर्गत ऐसा माल नहीं है जो इस अधिनियम के अधीन की गई प्रविष्टि में सम्मिलित नहीं है और ऐसे किसी आवेदन का निपटारा इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में किया जाएगा:

परंतु ऐसा कोई आवेदन तभी किया जाएगा जब—

(क) आवेदक ने, यथास्थिति, ऐसे माल के आयात या निर्यात की बाबत प्रवेशपत्र या पोतपत्र फाइल कर दिया है और ऐसे प्रवेशपत्र या पोतपत्र के संबंध में समुचित अधिकारी द्वारा उसे हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना जारी कर दी गई है;

(ख) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में स्वीकृत शुल्क की अतिरिक्त रकम तीन लाख रुपए से अधिक है; और

(ग) आवेदक अपने द्वारा स्वीकृत सीमाशुल्क की अतिरिक्त रकम का धारा 28कख के अधीन देय ब्याज के साथ संदाय कर दिया है:

परंतु यह और कि समझौता आयोग द्वारा इस उपधारा के अधीन ऐसे मामलों में कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा जो अपील अधिकरण या किसी न्यायालय में लंबित है:

परंतु यह भी कि इस उपधारा के अधीन कोई आवेदन ऐसे माल की बाबत, जिसे धारा 123 लागू होती है या ऐसे माल की बाबत नहीं किया जाएगा जिसकी बाबत स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन कोई अपराध किया गया है:

1985 का 61

1975 का 51

परंतु यह और भी कि इस उपधारा के अधीन कोई आवेदन, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन माल के वर्गीकरण के निर्वचन के लिए नहीं किया जाएगा ।

(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई आवेदन उपधारा (1) के अधीन, 1 जून, 2007 से पूर्व किया गया था किन्तु धारा 127ग की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश उक्त तारीख से पूर्व नहीं किया गया है, वहां आवेदक 1 जून, 2007 से तीस दिन की अवधि के भीतर स्वीकृत शुल्क दायित्व का संदाय करेगा, जिसके न करने पर उसका आवेदन खारिज किए जाने के लिए दायी होगा ।"।

धारा 127ग के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

93. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ग के स्थान पर, 1 जून, 2007 से, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 127ख के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया।

"127ग. (1) धारा 127ख के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, समझौता आयोग आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर आवेदक को इस बारे में लिखित में स्पष्टीकरण देने के लिए सूचना जारी करेगा कि उसके द्वारा किए गए आवेदन को कार्यवाही करने के लिए अनुज्ञात क्यों किया जाए और आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् समझौता आयोग, सूचना की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर, आदेश द्वारा आवेदन को, यथास्थिति, कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात करेगा या खारिज कर देगा और समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाहियों का खारिजी की तारीख से उपशमन हो जाएगाः

परंतु जहां समझौता आयोग द्वारा पूर्वोक्त अवधि के भीतर कोई सूचना जारी नहीं की गई है या कोई आदेश पारित नहीं किया गया है वहां आवेदन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया समझा जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आदेश की एक प्रति आवेदक को और अधिकारिता रखने वाले सीमाशुल्क आयुक्त को भेजी जाएगी ।

(3) जहां कोई आवेदन उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है या अनुज्ञात किया गया समझा जाता है वहां समझौता आयोग उपधारा (1) के अधीन आदेश की तारीख से सात दिन के भीतर अधिकारिता रखने वाले सीमाशुल्क आयुक्त से सुसंगत अभिलेखों के साथ रिपोर्ट मांगेगा और आयुक्त समझौता आयोग से संसूचना की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट देगा :

परंतु जहां आयुक्त तीस दिन की पूर्वोक्त अवधि के भीतर रिपोर्ट नहीं देता है वहां समझौता आयोग आयुक्त की रिपोर्ट के बिना मामले में आगे कार्यवाही करेगा ।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन मांगी गई आयुक्त की रिपोर्ट उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर दे दी गई है, वहां समझौता आयोग, ऐसी रिपोर्ट की समीक्षा करने के पश्चात्, यदि उसकी यह राय है कि मामले में आगे कोई और जांच या अन्वेषण आवश्यक है तो आयुक्त (अन्वेषण) को अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से रिपोर्ट की प्राप्ति के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, ऐसी और जांच या अन्वेषण करने या कराने का और समझौता आयोग से संसूचना की प्राप्ति की तारीख के नब्बे दिन की अवधि के भीतर आवेदन के अंतर्गत आने वाले विषयों और मामले से संबंधित किसी अन्य विषय पर रिपोर्ट देने का निदेश दे सकेगा :

परंतु जहां आयुक्त (अन्वेषण) पूर्वोक्त अवधि के भीतर रिपोर्ट नहीं देता है वहां समझौता आयोग ऐसी रिपोर्ट के बिना उपधारा (5) के अधीन आदेश पारित करने के लिए कार्यवाही करेगा ।

(5) समझौता आयोग, अभिलेखों और उपधारा (3) के अधीन प्राप्त सीमाशुल्क आयुक्त की रिपोर्ट और उपधारा (4) के अधीन समझौता आयोग के आयुक्त (अन्वेषण) की रिपोर्ट की, यदि कोई हो, परीक्षा करने के पश्चात् और आवेदक को तथा उस पर अधिकारिता रखने वाले सीमाशुल्क आयुक्त को, स्वयं या इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य की, जो उसके समक्ष रखा जाए या उसके द्वारा अभिप्राप्त किया जाए, परीक्षा करने के पश्चात्, आवेदन के अंतर्गत आने वाले विषयों और मामले से संबंधित किसी ऐसे अन्य विषय के बारे में, जो आवेदन के अंतर्गत नहीं आता है किन्तु उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन सीमाशुल्क आयुक्त और आयुक्त (अन्वेषण) की रिपोर्ट में निर्दिष्ट है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(6) उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश 31 मई, 2007 को या उससे पूर्व फाइल किए गए आवेदन की बाबत, 29 फरवरी, 2008 के पश्चात् और 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किए गए आवेदन की बाबत, उस मास के, जिसमें आवेदन किया गया था, अंतिम दिन से नौ मास के पश्चात् पारित नहीं किया जाएगा जिसके असफल रहने पर समझौता कार्यवाहियों का उपशमन हो जाएगा और न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, जिसके समक्ष आवेदन किए जाने के समय कार्यवाही लम्बित थी, मामले का निपटारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे करेगा मानो धारा 127ख के अधीन कोई आवेदन किया ही नहीं गया था।

(7) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 32क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समझौता आयोग के समक्ष अभिलेख पर लाई गई सामग्रियों पर संबंधित न्यायपीठ के सदस्यों द्वारा उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व विचार किया जाएगा और ऐसे आदेश को पारित करने के संबंध में केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 32घ के उपबंध लागू होंगे । 1944 का 1

(8) उपधारा (5) के अधीन पारित आदेश में, समझौते के निबंधन उपबंधित होंगे, जिनके अंतर्गत शुल्क, शास्ति या ब्याज के रूप में कोई मांग, वह रीति, जिसमें समझौते के अधीन देय कोई राशि संदत्त की जाएगी और समझौते को प्रभावी करने के लिए अन्य सभी बातें होंगी और खारिजी की दशा में, उसके लिए कारण अंतर्विष्ट होंगे और उसमें यह भी उपबंध होगा कि समझौता उस दशा में, शून्य हो जाएगा, जिसमें समझौता आयोग द्वारा बाद में यह पाया जाता है कि उसे कपट या तथ्यों के दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया हैः

परंतु समझौता आयोग द्वारा आदेश की गई समझौते की रकम धारा 127ख के अधीन आवेदक द्वारा स्वीकार किए गए शुल्क दायित्व से कम नहीं होगी ।

(9) जहां उपधारा (5) के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में, आवेदक द्वारा संदेय किसी शुल्क, ब्याज, जुर्माने और शास्ति का, उसके द्वारा आदेश की प्रति की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर संदाय नहीं किया जाता है वहां ऐसी राशि, जो असंदत्त रह गई है, उस पर देय ब्याज के साथ धारा 142 के उपबंधों के अनुसार आवेदक पर अधिकारिता रखने वाले समुचित अधिकारी द्वारा केन्द्रीय सरकार को देय राशियों के रूप में वसूल की जाएगी ।

(10) जहां कोई समझौता उपधारा (8) के अधीन उपबंधित रूप में शून्य हो जाता है वहां समझौते के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित कार्यवाहियां उस प्रक्रम से पुनः आरंभ हुई समझी जाएंगी, जिस पर आवेदन आगे कार्यवाही किए जाने के लिए समझौता आयोग द्वारा अनुज्ञात किया गया था और अधिकारिता रखने वाला समुचित अधिकारी, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी कार्यवाहियों को ऐसी संसूचना की प्राप्ति की तारीख से कि समझौता शून्य हो गया है, दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय पूरा कर सकेगा ।"।

धारा 127ङ का संशोधन।

94. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ङ के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि समझौता आयोग द्वारा ऐसे किसी मामले में, जहां धारा 127ख या के अधीन कोई आवेदन 1 जून, 2007 के पश्चात् किया जाता है, कोई कार्यवाही पुनः नहीं खोली जाएगी।"।

95. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127च की उपधारा (2) में, "(7)" और "(6)" कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "(5)" और "(4)" कोष्ठक और अंक 1 जून, 2007 से रखे जाएंगे । धारा 127च का संशोधन।

96. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ज में, 1 जून, 2007 से,— धारा 127ज का संशोधन।

(i) उपधारा (1) में,—

1860 का 45

(क) "या भारतीय दंड संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से और इस अधिनियम के अधीन किसी शास्ति, जुर्माने या ब्याज के अधिरोपण से पूर्णतः या भागतः उन्मुक्ति दे सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "किसी अपराध के लिए अभियोजन से और इस अधिनियम के अधीन किसी शास्ति और जुर्माने के अधिरोपण से भी पूर्णतः या भागतः उन्मुक्ति दे सकेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि 31 मई, 2007 को या उसके पूर्व समझौता आयोग के समक्ष फाइल किए गए आवेदनों का निपटारा इस प्रकार किया जाएगा, मानो इस धारा में संशोधन प्रवृत्त न हुआ हो ।";

(ii) उपधारा (2) में, "धारा 127ग की उपधारा (7) के अधीन पारित समझौता आदेश में विनिर्दिष्ट किसी राशि का ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो समझौता आयोग अनुज्ञात करे" शब्दों, अंकों, अक्षर और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 127ग की उपधारा (5) के अधीन पारित समझौता आदेश में विनिर्दिष्ट किसी राशि का ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

97. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ञ में, "(7)" कोष्ठकों और अंक के स्थान पर "(5)"कोष्ठक और अंक 1 जून, 2007 से रखे जाएगें। धारा 127ञ का संशोधन।

98. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ट में, "(7)" कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "(5)" कोष्ठक और अंक 1 जून, 2007 से रखे जाएंगे । धारा 127ट का संशोधन।

99. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ठ को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और— धारा 127ठ का संशोधन।

(i) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) में, "जहां" शब्द के स्थान पर, "जहां 1 जून, 2007 से पूर्व" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2) जहां किसी आवेदक ने धारा 127ख की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया है और यदि ऐसे आवेदन को धारा 127ग की उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया है, वहां ऐसा आवेदक किसी अन्य मामले के संबंध में धारा 127ख के अधीन समझौते के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं होगा :

परंतु ऐसा आवेदक समझौते के लिए कोई आवेदन फाइल करने से निवारित नहीं होगा यदि पश्चात्वर्ती आवेदन में विवाद्यक, विवाद की अवधि और रकम से भिन्न उस विवाद्यक के समान है जिसकी बाबत पूर्वतर आवेदन समझौता आयोग के समक्ष लंबित है ।" ।

100. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ङक का 1 जून, 2007 से लोप किया जाएगा । धारा 127ङक का लोप।

101. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129 की उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 129 का संशोधन।

"(6) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य, पद पर न रहने पर, अपील अधिकरण के समक्ष उपसंजात होने, कार्य करने या अभिवाक् करने के हकदार नहीं होंगे ।"।

102. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129घ में,— धारा 129घ का संशोधन।

(i) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) यथास्थिति, सीमाशुल्क मुख्य आयुक्तों या सीमाशुल्क आयुक्तों की समिति न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आदेश करेगी ।";

(ii) उपधारा (4) में "तीन मास" शब्दों के स्थान पर, "एक मास" शब्द रखे जाएंगे ।

103. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् : — धारा 135 का संशोधन।

"(1) इस अधिनियम के अधीन की जा सकने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति,—

(क) किसी माल के संबंध में, उन पर प्रभार्य किसी शुल्क के, या इस अधिनियम या ऐसे माल की बाबत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन तत्समय अधिरोपित किसी प्रतिषेध के, मूल्य की गलत घोषणा या कपटपूर्ण अपवंचन या अपवंचन का प्रयास करने में किसी भी प्रकार जानबूझकर संबंध रखेगा, या

(ख) किसी माल का जो वह जानता है या जिनके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वे, यथास्थिति, धारा 111 या धारा 113 के अधीन अधिहरण के लिए दायी हैं, कब्जा प्राप्त करेगा या उनके वहन, हटाने, निक्षेप करने, संश्रय देने, रखने, छिपाने, विक्रय या क्रय करने में किसी भी प्रकार का संबंध रखेगा या ऐसे माल का किसी अन्य रीति में व्यवहार करेगा; या

(ग) किसी माल का, जिसके बारे में वह जानता है या यह विश्वास करने का कारण है कि वह धारा 113 के अधीन अधिहरण के लिए दायी है, निर्यात करने का प्रयास करता है; या

(घ) माल के निर्यात के संबंध में, इस अधिनियम में उपबंधित शुल्क की वापसी या उससे कोई छूट कपटपूर्ण रूप से प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का प्रयास करेगा,

तो वह,—

(i) निम्नलिखित से संबंधित किसी अपराध की दशा में,—

(अ) ऐसा कोई माल जिसकी बाजार कीमत एक करोड़ रुपए से अधिक है, या

(आ) तीस लाख रुपए से अधिक शुल्क का अपवंचन या अपवंचन का प्रयास, या

(इ) प्रतिषिद्ध माल के ऐसे प्रवर्ग, जिन्हें केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे,, या

(ई) खंड (घ) में निर्दिष्ट शुल्क से कपटपूर्ण रूप से वापसी या कोई छूट प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास करना, यदि शुल्क की वापसी या छूट की रकम तीस लाख रुपए से अधिक है,

कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी अथवा जुर्माने से दंडनीय होगाः

परंतु न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित तत्प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, ऐसा कारावास एक वर्ष से कम का नहीं होगा ;

(ii) किसी अन्य दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से दंडनीय होगा ।"।

धारा 156 का संशोधन।

104. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(क) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन आयातित माल और निर्यातित माल के संव्यवहार मूल्य का अवधारण करने की रीति;

(कक) धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन आयातित माल या निर्यातित माल के मूल्य का अवधारण करने की रीति;" ।

सीमाशुल्क टैरिफ

पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची का संशोधन।

105. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) में,— 1975 का 51

(i) पहली अनुसूची का दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा;

(ii) दूसरी अनुसूची का तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा ।